

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प-राजपुरा...

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा व भू.अ.नि. कोर्ट की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा /नायब तहसीलदार रेलमारा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमारा व जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 30 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	राजपुरा	30	बालु पुज उदयराज बैरवा शा. देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा राजपुरा दरीवा	बालु पुज उदयराज बैरवा शा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डियन शाखा राजपुरा दरीवा


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 392
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16/10/25

1. तहसीलदार रेलमारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,